



अल्पकालीन ई-निविदा प्रपत्र

लेखा सहायक (सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से)
उपलब्ध करवाने हेतु

निविदा प्रपत्र मूल्य 2360रु (2000+18% जी.एस.टी)

ई-निविदा के अपलोड करने की अन्तिम तिथि 11.07.2025 अपरान्ह 02:00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि 11.07.2025 को अपरान्ह 04:00 बजे

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि.

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005

CIN-U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org

Tel-0141-2227651,2227514, e-mail- rajseedsstore@gmail.com

क्रमांक:एफ1 ()सस्थापन/2025-26/7343

दिनांक: 02/07/25

ई-निविदा सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर सरकारी/अर्द्धसरकारी/पंजीकृत संस्थाओं/सीए फर्म/ टैली कार्यों से संबंधित फर्मों/फर्मों से लेखा सहायक उपलब्ध कराने हेतु निविदाएँ दिनांक 11.07.2025 बजे 02:00 तक आमंत्रित की जाती है।

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in राज्य सरकार के पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in तथा निगम की वेबसाइट www.rajseeds.org एवं एग्रीकल्चर पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि.

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005

CIN-U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org

Tel-0141-2227651,2227514, e-mail- rajseedsstore@gmail.com

क्रमांक:एफ1 ()सस्थापन/2025-26/7343

दिनांक: 02/07/25

ई-निविदा सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर सरकारी/अर्द्धसरकारी/पंजीकृत संस्थाओं/सीए फर्मों/टैली कार्यों से संबंधित फर्मों/ फर्मों से ई-निविदा के माध्यम से लेखा सहायक उपलब्ध करवाये जाने हेतु निविदा दिनांक 11.07.2025 को 02:00 बजे तक दो वर्षों के लिए आमंत्रित करते हैं।

क्र. सं.	कार्य की प्रगति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	अनुमानित वित्तीय लागत (दो वर्ष हेतु)	बिड सिक्क्यूरिटी	फार्म शुल्क मय जीएसटी	प्रोसेसिंग राशि मय जीएसटी	औसत वार्षिक टर्नओवर (शर्त संख्या 68)
1	लेखा सहायक	22	105.55 लाख	211100/-	2360/-	2360/-	25 लाख

- निविदा राज्य सरकार की ई-निविदा वेबसाइट www.eproc.rajjasthan.gov.in के जरिये ली जावेगी उक्त निविदा राज्य सरकार के पोर्टल sppp.rajjasthan.gov.in तथा निगम की वेबसाइट www.rajseeds.org एवं एग्रीकल्चर पोर्टल पर भी उपलब्ध है। निविदाओं से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते हैं। सम्बन्धित फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्यालय पर दिनांक 11.07.2025 को अपरान्ह 03.00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई-निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 11.07.2025 को अपरान्ह 04:00 बजे खोली जावेगी।
- निविदा प्रपत्र में दर प्रस्ताव दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
- बोलीदाता/संवेदक द्वारा केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/निगम/बोर्ड में लेखा सहायक/टैली ऑपरेटर/लेखाकर्मों उपलब्ध करवाने का 2 वर्ष का (विगत 5 वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 में) अनुभव प्राप्त हो (न्यूनतम 20 लेखा सहायक) जिसके लिए सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी कार्य अनुभव/कार्य संतोषप्रद किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा। बिना अनुभव प्रमाण-पत्र निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
- मैं/हम राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि., पंत कृषि भवन, जयपुर, द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक..... दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

5. संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. बिड प्रपत्र परिशिष्ट 'अ' तकनीकी निविदा परिशिष्ट 'ब' में पूर्ण कर प्रेषित की जानी हैं।
7. बिड सिक्यूरिटी/ निविदा फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस निविदा खोलने की दिनांक 11.07.2025 को 03:00 बजे तक भौतिक रूप अथवा डीडी/बैंकर चैक/ऑनलाईन बैंक खाते में जमा करवाये जाने पर ही निविदाओं पर विचार किया जावेगा।
8. निविदाओं में किसी प्रकार का वाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी, शासन सचिव (कृषि) एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव वित्त (बजट) होंगे। अपील फार्म आर.टी.पी.पी. नियमों के प्रावधानानुसार परिशिष्ट 'सी' पर संलग्न हैं।
9. निविदा की नियम/शर्तें/विस्तृत विवरण उक्त पोर्टल/ वेबसाइट पर देखी जा सकती है। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाओं को आंशिक/पूर्ण निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता को होगा।
10. निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं लौटाई जायेगी।
11. किसी भी प्रकार के विधिक प्रकरण में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
12. निविदा की अन्य शर्तें आरटीपीपी अधिनियम-2012 नियम-2013 के प्रावधानानुसार एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लि.

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005

CIN-U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org

Tel-0141-2227651,2227514, e-mail- rajseedsstore@gmail.com

क्रमांक:एफ1 ()सस्थापन/2025-26/7343

दिनांक: 02/07/25
परिशिष्ट 'अ'

बिड प्रपत्र

- निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 11.07.2025 सांय 02:00 बजे तक
- निविदा प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि 11.07.2025 सांय 02.00 बजे तक
- तकनिकी निविदा खोलने की अंतिम तिथि 11.07.2025 अपरान्ह 04:00 बजे
- निविदा प्रपत्र शुल्क 2360.00 रु.
- प्रोसेसिंग राशि 2360.00/- रु.
- बिड सिक्यूरिटी 211100.00/-

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम :-
2. डाक का पता :-
3. फोन/मोबाईल नं. :-
4. ई-मेल :-
5. बैंक का नाम :-
- आईएफएससी कोड :-
- खाता संख्या :-
6. बोली प्रतिभूति राशि का डीडी क्रमांक दिनांक राशि.....
7. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति तकनिकी बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी:-

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7.	गत दो वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र/ कार्यानुभव (विगत 5 वर्षों में 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 में)				
8.	निविदा शुल्क				
9.	प्रोसेसिंग शुल्क				
10.	डीवार/ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ पत्र				

8. निविदा फार्म मूल्य रुपये 2360/- रुपये (2000+ 18प्रतिशत जी.एस.टी) का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में देय होगा अथवा ऑनलाईन बैंक खाते में जमा करवाया जा सकेगा।
डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....राशि.....
9. ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क रुपये 2360/- रुपये (2000+ 18प्रतिशत जी.एस.टी) का डिमाण्ड ड्राफ्ट एम.डी. आर.आई.एस.एल, जयपुर के पक्ष में देय होगा।
डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....राशि.....
10. बिड सिक्योरिटी रुपये 211100/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंक गारंटी/ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में देय होगा अथवा ऑनलाईन बैंक खाते में जमा करवाया जा सकेगा का विवरण :-
डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....राशि.....
11. यह निविदा राज्य सरकार की ई-निविदा वेबसाईट www.eproc.rajesthan.gov.in के जरिये ली जावेगी उक्त निविदा राज्य सरकार के पोर्टल sppp.rajesthan.gov.in तथा निगम की वेबसाईट www.raiseeds.org एवं एग्रीकल्चर पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते हैं।
- 11B. यदि निविदादाता को निविदा फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं बिड सिक्योरिटी भौतिक रूप से जमा कराने में किसी भी प्रकार की असुविधा हो, तो उपर्युक्त फीस RSSC के निम्नलिखित खाते में एक साथ Online भी जमा करायी जा सकती है।
- Name of Account holder- Rajasthan State Seeds Corporation limited, Jaipur
 - Name of Bank-State Bank of India
 - Account Number- 51052136667
 - IFSC- SBIN0031781
 - Name of Branch- Commercial Branch, Jaipur
- 11C. निविदादाता द्वारा बिड फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं बिड सिक्योरिटी Online जमा कराने की स्थिति में Online जमा करायी गई फीस भी Reciept की छाया प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपलोड नहीं करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. सम्बन्धित फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्यालय पर दिनांक 11.07.2025 को दोपहर 03.00 बजे तक भौतिक रूप से जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई-निविदाओं को दिनांक 11.07.2025 को 04:00 बजे खोली जावेगी।
13. निविदा प्रपत्र में दूर प्रस्ताव दिये गये दिशा-निर्देश के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
14. मैं/ हम राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि., पंत कृषि भवन, जयपुर, द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक..... दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
15. संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लि.

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005

CIN-U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org

Tel-0141-2227651,2227514, e-mail- rajseedsstore@gmail.com

General Terms& Conditions of Bid & Contract:-

1. Important Instruction:- The Law relating to procurement " The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012 (hereinafter called the Act) and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules, 2013 (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in>. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
3. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Integritty):-** कोई भी व्यक्ति जिसने RTPP अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 80 के प्रावधानों के तहत निर्धारण सत्यनिष्ठ संहिता का उल्लंघन किया है, खरीद प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा, बोलीदाता को विड डोक्यूमेंट के साथ सलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-"अ" में कोड ऑफ इन्टिग्रेटी की पालना करने हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. **बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन:-** बोलीदाता या संभावित बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर उपापन संस्था द्वारा अधिनियम 2012 की अध्याय IV, धारा 11 (3) और 46 के प्रावधानों के अनुसार बोलीदाता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
5. **पात्र बोलीदाता (Eligible Bidder) :-**
 - (A) अधिनियम की धारा 46 अधीन के किसी भी संस्था द्वारा डिवार किया हुआ कोई भी बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा।
 - (B) उपापन संस्था द्वारा मांगे जाने पर, बोलीदाता द्वारा निरन्तर संतोषजनक पात्रता बनाए रखने के साक्ष्य प्रदान करेगा।
 - (C) प्रत्येक बोलीदाता द्वारा केवल एक बोली प्रस्तुत की जावे।
 - (D) जो बोली दाता GST IN में रजिस्टर्ड नहीं है, बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। बिना GST रजिस्ट्रेशन के बोली रिजक्ट कर दी जायेगी।
 - (E) बोलीदाता द्वारा फर्म के संविधान में उपापन संस्था की पूर्वानुमति के बिना कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।
 - (F) बोलीदाता फर्म का गत दो वर्षों में (2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) न्यूनतम 25 लाख का औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ सी.ए. से प्रमाणित प्रमाण-पत्र निविदा दस्तावेजों में संलग्न प्रारूप में अनुलग्न E में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बोलीदाता द्वारा फर्म का न्यूनतम टर्नओवर निर्धारित टर्नओवर से कम होने पर बोली प्रस्तुत नहीं की जावे।

नोट:- यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र बिड प्रस्तुत करने की दिनांक को अवधिपार हो गया है और फर्म द्वारा नवीनीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है तो नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. **बोली दस्तावेजों में सम्मिलित :-** बोली दस्तावेजों में, निविदा शर्तें, तकनिकी बिड, बोली आमंत्रण सूचना, योग्यता मापदण्ड, सप्लाय ऑफ शिड्यूल जारी किया गया कोई भी संशोधन इत्यादि समस्त सम्मिलित होंगे।
7. **बोली दस्तावेजों का विक्रय :-** बोली दस्तावेजों का विक्रय, बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की दिनांक से प्रारम्भ होकर, बिड प्राप्त करने के एक दिन पूर्व तक, www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। बोलीदाता द्वारा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड करने पर, बिड डोक्यूमेंट फीस का भुगतान डी.डी. द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा के साथ करना होगा। जिसे ई-प्रोक्यूरमेंट पर भी तकनिकी बिड के साथ अपलोड करना होगा। बोलीदाता को सभी वांछित दस्तावेज ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है किसी भी अवस्था में कोई भी दस्तावेज भौतिक रूप से नहीं लिया जायेगा जो कि ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं है।
 - (i) बोली दाता द्वारा बोली दस्तावेज www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से सही ढंग से डाउनलोड नहीं कर पाने पर उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 - (ii) बोलीदाता से सलाह दी जाती है कि वह बिड दस्तावेजों के निर्देशों, फार्मस, शर्तें, स्पेशिफिकेशन, को भलीभाँति रूप से पढ़ ले/समझ ले। उपापन संस्था द्वारा निविदा के साथ चाही गई सूचनाएं, डोक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
8. बोलीदाता द्वारा तकनिकी एवं वित्तीय बिड बोली दस्तावेजों में उपलब्ध निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जावें। तकनिकी बिड के सम्पूर्ण कॉलम को आवश्यक रूप से भरा जावें। बिड फार्म में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. **बोली दस्तावेजों में संशोधन:-**
 - (i) यदि आवश्यक हो तो, उपापन संस्था बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय से पूर्व किसी भी समय स्वयं (स्वयं प्रेरणा लेकर) बोली दस्तावेजों में संशोधन कर सकेगा, जारी किया गया संशोधन बिड दस्तावेज का हिस्सा/पार्ट होगा।
 - (ii) उपापन संस्था द्वारा जारी किया गया कोई भी संशोधन बोली दस्तावेजों का हिस्सा होगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये संशोधन को www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसे बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।
10. **बिड की लागत :-** बोली तैयार करने से हेतु सभी लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी, उपापन संस्था ऐसी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. **बिड के साथ प्रस्तुत करने वाले आवश्यक दस्तावेज:-** बोली ऑनलाईन (तकनिकी बोली और वित्तीय बोली) प्रस्तुत की जावेगी।

तकनिकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

 - (i) पूर्ण भर हुआ तकनिकी बिड फार्म।
 - (ii) सम्पूर्ण बोली दस्तावेज हस्ताक्षर किया हुआ।
 - (iii) बोलीदाता का कोड ऑफ इस्ट्रेग्रेटी का घोषणा पत्र (अण्डरटेकिंग)।
 - (iv) बिड सिक्योरिटी, बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान स्वरूप डिमाण्ड-ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
 - (v) बिड दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकृत पत्र।
 - (vi) GST, PAN की छाया प्रति ऑफिस कार्यालय का पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी।
 - (vii) कार्यादेश/कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र
 - (viii) फर्म का वार्षिक टर्न ओवर (C.A. द्वारा प्रमाणित)

- (ix) डिवार/ब्लैक लिस्ट नहीं होने का प्रमाण-पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)
 (x) राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक अधिनियम-1970 में पंजिकरण प्रमाण-पत्र।
 (xi) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम-1952 में पंजिकरण प्रमाण-पत्र।
 (xii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 में पंजिकरण प्रमाण-पत्र।
 (xiii) तकनीकी क्वालिफिकेशन हेतु निर्धारित सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण-पत्र।

वित्तीय बोली

(i) बोलीदाता द्वारा निर्धारित बीओक्यू में अपना सर्विस चार्ज भरना होगा जिसका प्रपत्र निम्नानुसार है:-

क्र सं	बैसिक पारिश्रमिक (राशि रुपये में)	ईपीएफ @12%	ईएसआई @3.25%	सर्विस चार्ज (कॉलम सं 2 पर ही देय होगा)	योग	जीएसटी	कुल देय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
	14700/-						

12. बिड प्राईज और डिस्काउण्ट:-

- (i) प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्राईज बिड बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न एक्सल फॉर्मेट, (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बिडर द्वारा BOQ को मोडीफाई/रिप्लेस नहीं किया जावे, केवल रिलेवेन्ट कॉलमों में ही दरे भरी जावें। बोलीदाता द्वारा इसमें किसी प्रकार की गलती किये जाने पर यदि निविदा निरस्त होती है तो इसके लिए बिडर स्वयं जिम्मेदार होगा।
 (ii) यदि बोलीदाता द्वारा BOQ में बेसिक प्राईज कॉलम भरा नहीं जाता है तो बिड रिजक्ट की जा सकेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडर की होगी।
 (iii) बिड में प्रस्तुत दर समस्त करो सहित प्रस्तुत की जावें। GST, यदि लागू हो, अलग से दिया जावे। प्रस्तुत की गई दरें अनुबन्ध अवधि के लिए फिक्स (निर्धारित) होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। जीएसटी अलग से देय होने पर राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा समय-मय पर निर्धारित दरों अनुसार देय होगी।

13. **बोलियों को हस्ताक्षरित किया जाना :-** बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा बोली दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर, समस्त निबन्धों एवं शर्तों की सहमति के परिणामस्वरूप, हस्ताक्षर करेगा। बिना हस्ताक्षर किये प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

14. **बोली प्रतिभूति वापस लौटाना:-** असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अन्तिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

15. अनुबन्ध पत्र (Agreement) निष्पादित करना:-

- (i) सफल बोलीदाता द्वारा स्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिवस में 500/- रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुलग्न 'जी' में अनुबन्ध पत्र का निष्पादन करेगा। स्टाम्प पेपर की कीमत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी।
 (ii) यदि सफल बोलीदाता निर्धारित अवधि में करार (Agreement) निष्पादन करने या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करने में असफल रहता है तो उपापन संस्था द्वारा बोलीदाता की बिड सिक्योरिटी जब्त कर ली जावेगी एवं इन अधिनियम एवं नियमों के अनुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकेगी।

16. **बोलियों में प्रत्याहरण (Withdrawal) :-** किसी भी बोली का प्रत्याहरण (Withdrawal) प्रति स्थापना या उपान्तरण बोलियों के प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक और समय के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

17. बिड खोलना (Bid Opening) :-

- (i) निर्धारित समय तक प्राप्त बोलियों को बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में उपापन समिति द्वारा बिड ओपन करने हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर केवल तकनीकी बिड खोली जावेगी।
- (ii) तकनीकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। उपापन संस्था द्वारा तकनीकी बिड में सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा।
- (iii) तकनीकी बिड में असफल बोलीदाताओं को जिन मापदण्डों के आधार पर असफल घोषित किया गया है। लिखित में सूचित किया जायेगा।
18. **किसी भी बोली या निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार :-** निविदा स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी समय किसी भी बोली या सभी बोलियों को अथवा सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया को अस्वीकार करने/निरस्त करने का उपापन संस्था को सम्पूर्ण अधिकार होगा।
19. **अपील :-** RTTP अधिनियम 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुये, यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत जारी नियमों के उल्लंघन में है तो उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को निर्णय की तारीख से 10 दिवस की अवधि के भीतर बोली दस्तावेजों में निर्धारित फार्म अनुलग्न में निर्धारित फीस की राशि के साथ अपील दाखिल कर सकेगा।
20. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति को वापस लौटाना :-** सप्लायर की कार्य सम्पादन प्रतिभूति संतोषप्रद सप्लायर पूर्ण होने/अनुबन्ध समाप्त होने पर बिना ब्याज वापस लौटा दी जावेगी।
21. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
22. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
23. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार निविदा उचित रूप से प्रस्तुत की जावे।
24. निविदादाता द्वारा ई-निविदा E-procurement के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी। निविदा फार्म नियम एवं शर्तें SPPP Portal पर देखी जा सकती है।
25. निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित है।
26. अनुबंध की अवधि कार्यादेश की दिनांक से दो वर्ष के लिए होगी, जिसे आरटीपीपी नियमों के प्रावधान अनुसार वृद्धि की जा सकती है।
27. विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।
28. अनुबंध के अन्तर्गत प्रत्येक बार सेवा प्रदायी के पश्चात सेवा प्राप्त कर्ता अधिकारी द्वारा उपस्थिति प्रमाणित करने पर ही बिल का भुगतान किया जावेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होगा।
29. समस्त वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
30. निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
31. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं कि जायेगी।
32. निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर वाली निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। वह स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
33. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी

राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

34. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
35. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी(यदि लागू हो)। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
36. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
37. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि., पंत कृषि भवन, जयपुर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
38. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
39. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
40. बोलीदाता/संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
41. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
42. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टें से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जावेगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

43. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
44. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
45. मानव संसाधन की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का अधिकार नहीं होगा। मानव संसाधन की संख्या वृद्धि होने पर अनुबन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर मानव संसाधन उपलब्ध करवाना होगा।
46. खुली बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्पूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में मानव संसाधन उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।
47. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेंगी, यदि दर संविदा के अधीन मानव संसाधन उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
48. **बोली की विधि मान्यता:-** तकनीकी बोली प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
49. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।
50. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह 07 दिवस में मानव संसाधन उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।
51. मूल्यांकन की कसौटी-ई-निविदा में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा। एक से अधिक निविदाओं की दरें समान प्राप्त होने पर निगमों/बोर्डों में कार्यानुभव/फर्म के र्टनओवर के आधार पर निविदादाता को प्राथमिकता दी जा सकेगी तथा टैली कार्यों के सम्पादन करने वाली फर्म को वरियता दी जावेगी। अन्य युक्तियुक्त परिस्थिति के मध्यनजर निविदा की दरों का अनुमोदन करने हेतु निगम स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेगा जिसे सभी निविदादाताओं को मान्य होगा।
52. **बोलीदाता द्वारा सर्विस चार्ज भरते समय यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सर्विस चार्ज में संबंधित कार्य के लिए उसके सभी व्यय सम्मिलित हो। निगम उसी बोलीदाता की दर स्वीकार करेगा जो उसके लिए Most Advantageous Bidder हो।**
53. **बोलियों का अपवर्जन:-** अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
54. बोली प्रतिभूति राशि ई-निविदा सूचना के अनुसार राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि. पंत कृषि भवन, जयपुर के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।
55. **बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security)** बोली प्रतिभूति की निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:-
 (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
 (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

- (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में मानव संसाधन सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

56. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security):-

- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र दिनांक से अधिकतम 15 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि. पंत कृषि भवन, जयपुर के नाम पर जमा करानी होगी एवं राशि 500 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर.प्रारूप 17 में एक करार पत्र 15 दिवस के अन्दर निष्पादन करना होगा। वर्तमान में बिड फरफोरमेन्स सिक्युरिटी 5 प्रतिशत (.....) तक जमा करायी जानी होगी, यदि भविष्य में वित्त विभाग द्वारा इसमें संशोधन किया जाता है, तो बिड फरफोरमेन्स सिक्युरिटी तदानुसार अतिरिक्त जमा करवानी होगी।
- (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा, में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
- (स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

57. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :- कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :-

- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

58. भुगतान:-

- (i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
59. किसी भी माह में 15 दिवस तक लगतार अनुपस्थित रहने की स्थिति में देय राशि में से प्रतिदिन 200 रु० की कटौती की जावेगी। उक्त अवधि के पश्चात् अनुपस्थित रहने की स्थिति में आरटीपीपी नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
60. बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क किया जा सकता है।
61. बोलीदाता/संवेदक द्वारा केन्द्र/राज्य के विभाग/उपक्रम/निगम/बोर्ड में लेखा सहायक/लेखाकर्मि/टेली ऑपरेटर उपलब्ध करवाये जाने का 2 वर्ष का (विगत 5 वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 में) कार्यानुभव प्राप्त हो (न्यूनतम 20 लेखा सहायक) अनिवार्य होगा, जिसके लिए सम्बन्धित संस्था द्वारा जारी अनुभव/कार्य संतोषप्रद किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। दस्तावेज की छायाप्रति पर स्वहस्ताक्षरित कर बोली दस्तावेजों के साथ लगाना होगा। बिना अनुभव प्रमाण-पत्र /कार्य आदेश निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
62. तकनीकी निविदा परिशिष्ट 'ब' में पूर्ण कर प्रेषित की जानी हैं।

63. निविदाओं में किसी प्रकार का वाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रथम अपील अधिकारी, शासन सचिव (कृषि) एवं द्वितीय अपील अधिकारी शासन सचिव वित्त (बजट) होंगे। अपील फार्म आर.टी.पी.पी. नियमों के प्रावधानानुसार हैं।
64. बोलीदाता गत तीन वर्षों में Black list/ Dibbar नहीं होना चाहिए इस बाबत निविदा दाता को तकनीकी बिड के साथ 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र Annexure-F में भरकर तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
65. यदि किसी निविदादाता द्वारा निविदा के साथ मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं, तो निगम द्वारा बिडर को Dibbar/Bid security जब्त की जा सकेगी अथवा दोनों कार्यवाही की जा सकेगी तथा निविदा दाता की बिड किसी भी stage पर निरस्त की जा सकेगी।
66. निविदा की अन्य शर्तें आरटीपीपी अधिनियम-2012 नियम-2013 के प्रावधानानुसार एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश लागू होंगे।
67. निविदादाता द्वारा लेखा सहायक राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पो की राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 22 इकाइयों एवं निगम मुख्यालय पर सेवा दी जानी होगी।
68. बोलीदाता फर्म का 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24(वर्ष 2024-25 की बैलेन्स शीट फाईनल हो गयी है तो 2024-25 का टर्नओवर भी स्वीकार्य होगा) में से किसी भी दो वर्षों में टर्नओवर 25 लाख या अधिक हो जिसके समर्थन में सीए से प्रमाणित यूडीआईएन सहित प्रमाण पत्र/ वार्षिक विवरणिका प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
69. यदि एक से अधिक फर्मों की वित्तीय दरें समान प्राप्त होती हैं तो अधिक टर्नओवर वाली फर्म को वरियता दी जावेगी।
70. बोली दाता द्वारा लेखा सहायक को भुगतान हेतु सम्बन्धित इकाई पर बिल प्रस्तुत किये जावेंगे तथा इकाई स्तर से ही भुगतान किया जावेगा।
71. बोली दाता द्वारा विगत दो वर्षों का ITR प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
72. बोली दाता द्वारा अन्तिम त्रैमासिक GSTR-3B प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लि.,
पंत कृषि भवन,
जयपुर।

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लि.

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर-302005

CIN-U75132RJ1978SGC001781, www.rajseeds.org

Tel-0141-2227651,2227514, e-mail- rajseedsstore@gmail.com

विशिष्ट शर्त :-

लेखा सहायक कार्मिक का विवरण, जॉब/कार्य एवं विशिष्ट शर्त-

1. निर्धारित सभी लेखा रजिस्ट्रों/सहायक बहियों/प्रपत्रों का संधारण। इकाई कैश बुक का नियमित संधारण।
2. विस्तृत बजट अनुमान तैयार करना।
3. निगम के नियमों एवं दिशा निर्देशों के तहत सभी बिलों की जांच उपरान्त पारित करना एवं खातों में उचित समायोजन करना।
4. क्रय, विक्रय पत्र मिलान करना एवं समायोजन करना, बिल पारित करना तथा नियमानुसार चैक तैयार कर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत करना।
5. टेली पर समस्त प्रकार के वाउचर्स तैयार कर चैक तैयार करना तथा वाउचरों का एकीकरण व उचित रख-रखाव कर चैक रजिस्टर का संधारण करना।
6. निर्धारित प्रारूप में सुनिश्चित विवरण पत्र/रिटर्न तैयार करना, व सम्बन्धित अधिकारियों को प्रस्तुत करना।
7. निगम में सम्बन्धित संस्थाओं/ बैंकों के खातों का मिलान व आय-व्यय का विवरण तैयार करना।
8. कम्प्यूटर पर लेखा कार्य सम्पादित करना।
9. निगम के साफ्टवेयर अथवा टेली ई.आर.पी पर निगम की आवश्यकता अनुसार खाते तैयार करना।
10. अंकेक्षण कार्य को सम्पादित करवाना एवं, अंकेक्षकों द्वारा दिये गये आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
11. स्थाई संपत्तियों का रजिस्टर तैयार करना एवं रजिस्टर संधारित करना।
12. योजनावार/ सप्तिहारी का लेखों में समायोजन।
13. सरपेंस अकाउन्ट का मिलान कर संबंधित मद में समायोजन करना।
14. समय-समय पर टीडीएस की डिफाल्ट राशि का मिलान कर संबंधित सीए फर्म से डिफाल्ट राशि का निस्तारण करवाना।
15. मुख्यालय द्वारा वांछित मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक सूचनाएं तैयार कर, समय पर उपलब्ध करवाना।
16. लेखों से संबंधित सम्पूर्ण कार्य करना।
17. नियंत्रक अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित अन्य कार्य सम्पादित करना।
18. टैक्स ऑडिट से सम्बन्धित सूचना समय अनुरूप तैयार करना।
19. निविदा स्वीकृत होने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले लेखा सहायक कार्मिक की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करेगा।

क्र.स.	लेखा सहायक का नाम	पिता/पति का नाम	निवास पता	ई.पी.एफ. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6

20. समेकित पारिश्रमिक अवधि कार्यग्रहण की तिथि से निविदा अवधि समाप्त होने तक अथवा नियमित लेखाकर्म उपलब्ध होने (दोनों में से जो भी पहले हो) तक।

हस्ताक्षर निविदादाता
सील

विशिष्ट शर्तें :-

लेखा सहायक कार्मिक की योग्यता

1. कोमर्स से स्नातक।
2. टैली एवं Commercial Accounting का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य हैं जिसके समर्थन में सीए फर्म अथवा किसी भी राजकीय विभाग, उपक्रमों, बोर्ड आदि में कार्यानुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

सेवाप्रदाता फर्म की योग्यता

सीए फर्म अथवा ऐसी पंजीकृत फर्म जिसको केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के उपक्रमों/निगमों में राजस्थान के 3-4 जिलों में लेखा सहायक/टैली ऑपरेटर/लेखाकर्मी उपलब्ध करवाने 2 वर्ष का (विगत 5 वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 में) कार्यानुभव (न्यूनतम 20 लेखा सहायक) का प्राप्त हो तथा जिसका दो वर्षों में (2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 की बैलेन्स शीट फाईनल हो गयी है तो 2024-25 का टर्नओवर भी स्वीकार्य होगा) टर्नओवर 25 लाख या अधिक हो जिसके समर्थन में सीए से प्रमाणित यूडीआईएन सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।



राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

CIN - U75132RJ1978SGC001781, www.raiseeds.org

दूरभाष नं. 0141-2227514, 5106516, फैक्स नं. 5106516

ई-निविदा फार्म (तकनीकी निविदा)

परिशिष्ट "ब"

प्रबन्ध निदेशक,

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि.

पंत कृषि भवन, जनपथ,

जयपुर।

विषय:- निविदा लेखा सहायक (संविदा पर) उपलब्ध करवाने हेतु।

- (i) मैं.....राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि. द्वारा जारी निविदा के निर्देश, नियम व शर्तों से सहमत हूँ।
- (ii) मैं निविदा में दी गई दरों पर निविदा अवधि में लेखा सहायक (संविदा पर) उपलब्ध करवाने के लिये सहमत हूँ।
- (iii) बिड सिक्यूरिटीरूपये 211100 बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक..... राशि.....(शब्दों में) जमा करा दी गई है।
- (iv) निविदा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में बीज निगम को मेरी धरोहर/ बिड सिक्यूरिटी जब्त करने का अधिकार होगा।
- (v) मैं निविदा की मांग अनुसार राज्य सरकार की वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर प्रेषित/अपलोड कर रहा हूँ।
- (vi) विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
- (vii) सम्पर्क विवरण

1. फर्म का नाम.....
2. निविदा दाता का नाम.....
3. पूर्ण पता मय टेलिफोन/मोबाईल नम्बर.....
4. फर्म का पंजीयन नम्बर (श्रम विभाग).....
5. सहकारिता विभाग में पंजीयन संख्या.....
6. कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन संख्या.....
7. आयकर विभाग (स्थायी खाता संख्या) पैन नम्बर.....
8. जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) पंजीयन संख्या.....
9. कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई) पंजीयन संख्या

(viii) तकनीकी मुल्यांकन हेतु निर्धारित प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(तकनिकी मूल्यांकन हेतु चैकलिस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ बिड)

क्र. सं.	दस्तावेज का नाम	जमा करवाने का तरीका
1	डिमाण्ड ड्राफ्ट/ऑनलाईन पेमेंट रिसिप्ट फॉर बिड ओर प्रोसेसिंग फीस एवं बिड सिक्योरिटी राशि	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
2	फर्म का वार्षिक टर्न ऑवर प्रमाण पत्र Annexure'E' (C.A. से प्रमाणित)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
3	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
4	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
5	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
6	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
7	आय कर (पैन नम्बर)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
8	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
9	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (निविदा शर्त अनुसार)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
10	डीवार/ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ पत्र	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
11	डिक्लेरेशन by बिडर 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एनेक्जर 'H'	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
12	सम्पूर्ण बोली दस्तावेज हस्ताक्षर मय सील सहित	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
13	अन्य समस्त/वांछित दस्तावेज	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
14	बोली दाता द्वारा विगत दो वर्षों का ITR प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (2021-22, 2022-23, 2023-24 2024-25)	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें
15	बोली दाता द्वारा अन्तिम त्रैमासिक GSTR-3B प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें

हस्ताक्षर निविदादाता

सील

घोषणा पत्र

खुली बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं वास्तव में खुली बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहत (जब्त) कर किया जा सकेगा तथा खुली बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of
..... in response to their Notice Inviting Bids No.....

Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or' to have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;
6. That our firm is not involved in any litigation with any state/central govt. deptt./public undertaking etc.



Date:

Signature of bidder

Place:

Name :

Designation:

Address:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is A.C.S. /P.S.A. Department of Agriculture Government of Rajasthan

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary finance (Budget) department , Government of Rajasthan.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under pars (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second 'appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement**Act, 2012**

Appeal No of.....

Before the (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against

and name and designation of the officer / authority who passed the order
(enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of
the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which
the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented

by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:**6. Grounds of appeal:**

.....
.....
..... Supported by an Affidavit)

7.**Prayer:**

.....
.....

Place

Date.....

Appellant's Signature

Additional Conditions of Contract**1. Correction of arithmetical errors :**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities:

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed fifty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation

Address:

Annual Turn-over Statement

The annual turnover of M/s.
address----- for
the past two years are as given below and certified that the statement is true and correct.

S.No.	Year	Gross Turnover in Rs. Lakh
1	2021-22	
2	2022-23	
3	2023-24 /2024-25	
	Total:	Rs. Lakh
Average gross annual turnover		Rs. Lakh

नोट:- किसी फर्म की 2024-25 की बैलेन्स शीट फाईनल हो गयी है तो 2024-25 का टर्नओवर भी स्वीकार्य होगा ।

Date:

Place:

Signature of Chartered Accountant

With Name, Address & Seal

With UDIN

Declaration and Undertaking

(on non-judicial stamp paper of Rs.500/-)

I (Name and complete address) _____ Sole Proprietor /
authorized signatory of the firm (Name and complete address) _____ do hereby solemnly
affirm and declare that the individual/ firm/ company is not blacklisted/banned/debarred on any ground
by Bid Inviting Authority or Govt. of Rajasthan/Central or its departments on the date of bid
submission.

(Name of Deponent & Signature)

Verification

I S/o(Designation)

Affirm on oath that the contents/information as mentioned above, are true & correct to the best of my
knowledge and nothing is hidden. I also declare on oath that if any information furnished by me as
above is found wrong, forged or fabricated the Corporation will be at liberty to cancel the Bid for
which I shall be solely responsible and the firm may be Debarred/Banned/blacklisted/prosecuted for the
same.

(Name of Deponent & Signature)

AGREEMENT

This agreement is made on this (day)(date) between the Rajasthan State Seeds Corporation Ltd. A government of Rajasthan Company, incorporated under the Companies Act 1956 and having its registered office at Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur and (hereinafter called the 'Corporation ' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include its successors and assigns) of the first part and (hereinafter called the 'Supplier' which expression shall include unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to its successors and assigns) of the second part.

WHEREAS the 'Corporation' with the intention of purchasing seed invited offers vide NIT No -
----- on its own behalf (hereinafter called the 'purchaser')

AND WHEREAS the supplier submitted their Bid upon consideration of the Bid and after due deliberations, the Corporation placed purchase Order /orders with supplier, for the supply of material as per specifications, quantities mentioned in schedule of this agreement and in purchase order.

AND WHEREAS the Corporation and the supplier have agreed to all the Instructions, terms & conditions as contained in the Bid document which shall form part of this agreement.

The supplier hereby agrees to supply and purchaser hereby agrees to purchase materials with specification and details as mentioned in Purchase Order.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS;

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract referred to.
2. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement, viz.:

- (a) The Procuring Entity's Notification to the Supplier of Award to Contract.
- (b) The Bid Submission Sheet and the Price Schedules including negotiated price, if any, submitted by the Supplier;
- (c) The Special Conditions of Contract
- (d) The General Conditions of Contract
- (e) The Schedule of Supply;
- (f) The Notice Inviting Bid;
- (g)

in the event of any discrepancy or inconsistency within the contract documents, the documents shall prevail in the order listed above.

3. In consideration of the payments to be made by the Procuring Entity to the Supplier as indicated in this Agreement, the Supplier hereby covenants with the Procuring Entity to provide the Goods and Related Services and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

Declarations by the Bidder

(On non-judicial stamp paper of Rs. 500/-)

In relation to our Bid submitted to..... [enter designation and address of the procuring entity] for procurement of.....[insert name of the Goods] in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated we hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We are eligible and possess the necessary professional, technical, financial, and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/We have Fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document.
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administered by a court or a judicial officer, not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/We and our directors and officers have not been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/We have not been/have been debarred under Section 46 of RTPP Act. In case the Bidder is debarred by any other Procuring Entity of State/Central Government or in any country in last three years then following details to be provided for each Procuring Entity:
 - (i) Name of Entity State/Centre or Country:
 - (ii) Period of debarment [start and end date]:
 - (iii) Reason for the debarment:
6. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.
 - i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates anticipated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid;
7. I/We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract. This means that any person participating in a procurement process shall -
- a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage In procurement process or to otherwise influence the procurement process;
 - b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
 - c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
 - d) not misuses any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
 - e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
 - f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
 - g) discloses conflict of interest, if any; and
 - u) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Date: Place:	Signature of Bidder
	Name:
	Designation:
	Address: